

प्रेषक

सुनील श्री पांथरी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निर्देशक
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी
नैनीताल ।

कार्मिक अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 23 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-315/दो-6(2016), दिनांक 28 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-06 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-003-प्रशिक्षण-03-राज्य प्रशासन अकादमी, नैनीताल के अन्तर्गत मानक मद संख्या-04-यात्रा भत्ता में उपलब्ध बचतों में से मानक मद संख्या-45-अवकाश यात्रा भत्ता में संलग्न विवरणानुसार कुल धनराशि ₹ 0.20 लाख (रूपये बीस हजार मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि में से कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी राशि के व्यय की वास्तविक आवश्यकता है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-06 के लेखाशीर्षक-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-003- प्रशिक्षण-03-राज्य प्रशासन अकादमी, नैनीताल के अन्तर्गत 04-यात्रा भत्ता में उपलब्ध बचतों में से मानक मद-45-अवकाश यात्रा भत्ता के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-335 मतदेय/XXVII(5)/ 2017-18, दिनांक 21-03-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- उक्त स्वीकृति संलग्न कम्प्यूटर अलॉटमेंट आई0डी0- S1803060476, दिनांक 22 मार्च, 2018 के अन्तर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या- 120 /XXX(4)/2018-01(1)/2017, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, वित्तीय डाटा सेन्टर, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल
- 4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(हेमा पाण्डे)

अनु सचिव

